रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940
No. 124] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.030.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) में 'कंपनी सचिव' शब्दों के स्थान पर 'सचिवीय लेखापरीक्षक' शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल विनियमों के विनियम 33 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण—इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "व्यय" के अंतर्गत अंतरिम समाधान व्यावसायिक को संदत्त की जाने वाली फीस, दिवाला व्यावसायिक संस्था को, यदि कोई है, संदत्त की जाने वाली फीस और व्यावसायिकों को, यदि कोई हैं, संदत्त की जाने वाली फीस और अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा उपगत किए जाने वाले अन्य व्यय भी आते हैं।"

4. मूल विनियमों के विनियम 34 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण—इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "व्यय" के अंतर्गत समाधान व्यावसायिक को संदत्त की जाने वाली फीस, दिवाला व्यावसायिक संस्था को, यदि कोई है, संदत्त की जाने वाली फीस और व्यावसायिकों को, यदि कोई हैं, संदत्त की जाने वाली फीस और समाधान व्यावसायिक द्वारा उपगत किए जाने वाले अन्य व्यय भी आते हैं।"

5. मूल विनियमों में, विनियम 34 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"34क. लागत का प्रकटन – यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत को ऐसी रीति में, जैसी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए, मदवार प्रकट करेगा"

6. मूल विनियमों में, विनियम 35 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"35क. समाधान आवेदक की पहचान - समाधान व्यावसायिक, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से 105वें दिन या उससे पूर्व प्रत्याशित समाधान आवेदकों की पहचान करेगा ।"

7. मूल विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में, प्रविष्टि 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"8.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
9.	बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत अंतरिम समाधान व्यावसायिक का पता और ईमेल पता	
10.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पता और ईमेल पता, यदि वह क्रम सं. 9 में दिए गए पते और ईमेल पते से भिन्न है ।	
11.	दावे प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख"	

8. मूल विनियमों की अनुसूची के प्ररूप ख में, शपथपत्र और सत्यापन के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**घोषणा**

मैं, [दावाकर्ता का नाम], वर्तमान निवासी [पता लिखें], एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं :-

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि.....20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था ।
2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है: [कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था] ।
3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है ।
4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने, मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है :

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[**टिप्पण:** कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]"

9. मूल विनियमों की अनुसूची के प्ररूप ग में, -

(क) सारणी की मद 10 में "परिचालन लेनदार" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय लेनदार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) शपथपत्र और सत्यापन के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**घोषणा**

मैं, **[**दावाकर्ता का नाम**]**, वर्तमान निवासी **[**पता लिखें**]**, एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं **:-**

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि.....20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था।

2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है**: [**कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था**]**।

3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है **:**

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके।]

5. मैं संहिता की धारा 5(24) के अधीन यथा-परिभाषित कारपोरेट ऋणी/उसके संबंध में संबद्ध पक्षकार नहीं हूं।

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.. को सत्यापित।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[**टिप्पण**: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]"

10. मूल विनियमों की अनुसूची के प्ररूप घ में, शपथपत्र और सत्यापन के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**घोषणा**

मैं, **[**दावाकर्ता का नाम**]**, वर्तमान निवासी **[**पता लिखें**]**, एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं **:-**

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि.....20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था।

2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है**: [**कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था**]**।

3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है **:**

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)"

11. मूल विनियमों की अनुसूची के प्ररूप ङ में,-

(क) संलग्नक शीर्षक के अधीन मद(क) और मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"ऋण के सबूत और ऋण के असंदाय के सबूतों के साक्ष्य के रूप में अवलंब लिए गए दस्तावेज़"

(ख) शपथपत्र और सत्यापन के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**घोषणा**

मैं, **[**दावाकर्ता का नाम**]**, वर्तमान निवासी **[**पता लिखें**]**, एतद्वारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं **:-**

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि.....20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था ।
2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है**: [**कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था**]** ।
3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है ।
4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है **:**

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)"

12. मूल विनियमों की अनुसूची के प्ररूप च में, शपथपत्र और सत्यापन के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**घोषणा**

मैं, **[**दावाकर्ता का नाम**]**, वर्तमान निवासी **[**पता लिखें**]**, एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं **:-**

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि.....20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था।
2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है**: [**कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था**]**।
3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है **:**

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके।]

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.. को सत्यापित।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[**टिप्पण**: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]"

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/497/17]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात्

1) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017;
2) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017;
(3) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017;
(4) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.022, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017; और
(5) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.024, तारीख 6 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा संशोधन किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018

No. IBBI/2017-18/GN/REG030.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on 1st April, 2018.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 3, in sub-regulation (1), in clause (c), in sub-clause (i), for the words "company secretaries", the words "secretarial auditors" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 33, for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely: -

"*Explanation.* - For the purposes of this regulation, "expenses" include the fee to be paid to the interim resolution professional, fee to be paid to insolvency professional entity, if any, and fee to be paid to professionals, if any, and other expenses to be incurred by the interim resolution professional."

4. In the principal regulations, in regulation 34, for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely: -

"Explanation. - For the purposes of this regulation, "expenses" include the fee to be paid to the resolution professional, fee to be paid to insolvency professional entity, if any, and fee to be paid to professionals, if any, and other expenses to be incurred by the resolution professional.".

5. In the principal regulations, after regulation 34, the following regulation shall be inserted, namely**: -**

"34A. Disclosure of Costs. - The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall disclose item wise insolvency resolution process costs in such manner as may be required by the Board.".

6. In the principal regulations, after regulation 35, the following regulation shall be inserted, namely**: -**

"35A. Identification of Resolution Applicant.- The resolution professional shall identify the prospective resolution applicants on or before the 105th day from the insolvency commencement date**."**.

7. In the principal regulations, in the Schedule, in Form A, for entries 8 and 9, the following entries shall be substituted, namely: -

"8	NAME AND REGISTRATION NUMBER OF THE INSOLVENCY PROFESSIONAL ACTING AS INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL	
9.	ADDRESS AND E-MAIL OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS REGISTERED WITH THE BOARD	
10	ADDRESS AND E-MAIL TO BE USED FOR CORRESPONDENCE WITH THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, IF DIFFERENT FROM THOSE GIVEN AT SL. NO. 9.	
11.	LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS.".	

8. In the principal regulations, in the Schedule, in Form B, for the Affidavit and Verification, the following shall respectively be substituted, namely: -

"**DECLARATION**

I, [*Name of claimant*], currently residing at [*insert address*], hereby declare and state as follows:-

1. [*Name of corporate debtor*], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the……..day of……20….., actually indebted to me in the sum of Rs. [*insert amount of claim*].
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [*Please list the documents relied on as evidence of claim*].
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.
4. In respect of the said sum or any part thereof, neither I nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

   [*Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim*].

Date:

Place:

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, *[Name]* the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at … on this …… day of ……., 20…

(Signature of the claimant)

[Note: In the case of company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary and in the case of other entities, an officer authorised for the purpose by the entity]".

9. In the principal regulations, in the Schedule, in Form C,-

(a) in the Table, in item 10, for the words "OPERATIONAL CREDITOR", the words "FINANCIAL CREDITOR" shall be substituted;

(b) for the Affidavit and Verification, the following shall be substituted, namely: -

"**DECLARATION**

I, [*Name of claimant*], currently residing at [*insert address*], do hereby declare and state as follows: -

1. [*Name of corporate debtor*], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the……..day of……..20……., actually indebted to me in the sum of Rs. [*insert amount of claim*].
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [*Please list the documents relied on as evidence of claim*].
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.
4. In respect of the said sum or any part thereof, neither I, nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

   [*Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim*].

5. I am / I am not a related party in relation to the corporate debtor, as defined under section 5 (24) of the Code.

Date:

Place:

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, *[Name]* the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at … on this …… day of ……., 20…

(Signature of claimant)

*[**Note**: In the case of company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary and in the case of other entities, an officer authorised for the purpose by the entity]*".

10. In the principal regulations, in the Schedule, in Form D, for the Affidavit and Verification, the following shall respectively be substituted, namely: -

"**DECLARATION**

I, [*Name of claimant*], currently residing at [*insert address*], do hereby declare and state as follows: -

1. [*Name of corporate debtor*], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the……..day of……..20……., actually indebted to me in the sum of Rs. [*insert amount of claim*].
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [*Please list the documents relied on as evidence of claim*].
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.
4. In respect of the said sum or any part thereof, neither I, nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

   [*Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim*].

Date:

Place:

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, *[Name]* the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at … on this …… day of ……., 20…

(Signature of claimant)".

11. In the principal regulations, in the Schedule, in Form E,-

(a) under the heading, **ATTACHMENTS,** for items (a) and (b), the following shall be substituted, namely:
"Documents relied as evidence as proof of debt and as proofs of non-payment of debt";

(b) for the Affidavit and Verification, the following shall respectively be substituted, namely: -

"**DECLARATION**

I, [*Name of claimant*], currently residing at [*insert address*], do hereby declare and state as follows: -

1. [*Name of corporate debtor*], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the……..day of……..20……., actually indebted to me in the sum of Rs. [*insert amount of claim*].
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [*Please list the documents relied on as evidence of claim*].
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.
4. In respect of the said sum or any part thereof, neither I, nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

   [*Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim*].

Date:

Place:

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, *[Name]* the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at … on this …… day of ……., 20…

(Signature of claimant)".

12. In the principal regulations, in the Schedule, in Form F, for the Affidavit and Verification, the following shall respectively be substituted, namely: -

"**DECLARATION**

I, [*Name of claimant*], currently residing at [*insert address*], do hereby declare and state as follows: -

1. [*Name of corporate debtor*], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the……..day of……..20……., actually indebted to me in the sum of Rs. [*insert amount of claim*].
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [*Please list the documents relied on as evidence of claim*].
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.
4. In respect of the said sum or any part thereof, neither I, nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

   [*Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim*].

Date:

Place:

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, *[Name]* the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at … on this …… day of ……., 20…

(Signature of claimant)

[Note: In the case of company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary and in the case of other entities, an officer authorised for the purpose by the entity]".

DR. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./497/17]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG04 on 30th November, 2016 and were subsequently amended by-

1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017;
2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG018, dated the 5th October, 2017;
3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG019, dated the 7th November, 2017;
4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG022, dated the 31st December, 2017; and
5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG024, dated the 6th February, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.04.04 09:25:17 +05'30'